

प्रेषक,

सुनील कुमार तिवारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एल.एल.एम. डिग्री के आधार पर तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-6570 दिनांक 22.01.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2140 दिनांक 28.02.2024 सहपठित ज्ञापांक-6039 दिनांक 05.06.2024 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/पदस्थापन	बिहार न्यायिक सेवा में योगदान की तिथि	एलएल.एम. उर्त्तीणता की तिथि	वेतन वृद्धि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश कुमार दुबे, सिविल जज (वरीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पूर्व)।	27.02.2017	24.09.2025	24.09.2025
2	श्री प्रिंस भारती, सिविल जज (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पश्चिम)।	31.01.2020	24.09.2025	24.09.2025
3	श्रीमती प्रेरणा सिंह, प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, अरवल एवं जहानाबाद।	24.01.2020	31.12.2025	31.12.2025
4	सुश्री अर्पिता दुबे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गया।	28.01.2020	23.09.2025	23.09.2025
5	श्रीमती शिखा पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, कैमूर, भभुआ।	24.01.2020	24.09.2025	24.09.2025
6	श्रीमती कृतिका द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, कैमूर, भभुआ।	23.01.2020	23.09.2025	23.09.2025
7	श्री विश्वजीत कुमार रेलवे दंडाधिकारी, भोजपुर, आरा।	25.08.2015	31.12.2025	31.12.2025

8	श्री स्वपनिल राज, परीक्ष्यमान सिविल जज (कनीय कोटि), पटना सिटी, पटना।	18.02.2025	08.07.2022	18.02.2025
9	सुश्री अनु प्रिया, परीक्ष्यमान सिविल जज (कनीय कोटि), गोपालगंज।	17.02.2025	26.07.2025	26.07.2025
10	श्री सचिन वत्स, परीक्ष्यमान सिविल जज (कनीय कोटि), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	17.02.2025	03.08.2023	17.02.2025

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-07 / 2026सा0प्र0.....2728...../पटना-15, दिनांक 9.2.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं संबंधित न्यायिक पदाधिकारी को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से तथा आईटी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sunil
06/02/26
सरकार के अवर सचिव।